

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 10/2014

संस्थित दिनांक-21.01.2014

फाईलिंग नंबर-230303005482014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1- रामदत्त शर्मा पुत्र गंगाराम शर्मा उम्र 60 साल  
निवासी बरौना थाना एण्डोरी

-----अभियुक्त

---

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपी रामदत्त द्वारा श्री एम०एल०मुदगल अधिवक्ता

---

### **-::-- निर्णय --::-**

(आज दिनांक **26 मार्च-2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपी रामदत्त के विरुद्ध धारा 306 भा०द०वि० के तहत यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 04.11.12 की शाम करीब 6.00 बजे ग्राम बरौना में मृतिका राधा का पडोसी होते हुए अकारण गाली-गलौच व झगडा कर प्रताडित किया जिससे दुष्प्रेरित होकर उसने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि मृतिका श्रीमती राधा लालाराम की पत्नी थी। लालाराम अपने छोटे भाई रविन्द्र के साथ जयपुर में रहकर मजदूरी करता था जहाँ रविन्द्र की पत्नी भी उनके साथ रहती थी। गांव में पिता दुलारे उर्फ रामदुलारे एवं मृतिका राधा रहती थी। यह भी निर्विवादित है कि दुलारे उर्फ रामदुलारे के बड़े भाई पोखाराम ने आरोपी रामदत्त शर्मा को हिस्से का मकान विक्रय कर दिया था। तथा यह भी स्वीकृत है कि मृतिका राधा पढी लिखी थी और प्राईवेट स्कूल में पढाती थी।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 04.11.12 को मृतिका श्रीमती राधा के पति लालाराम ने रात करीब 10.00 बजे थाना एण्डोरी की पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट की कि वह जयपुर में मजदूरी करता है और उक्त घटना दिनांक से 10-15 दिन पहले उसकी गाय दिनेश शर्मा के बाजरे की बालों में चली गई थी जिस पर से दिनेश शर्मा की पत्नी से मुंहवाद हो गया था और उसमें गाली-गलौच हो गयी थी। जिसकी सूचना उसकी पत्नी राधा ने उसे जयपुर भेजी थी। तब

उसने रामदत्त के लडके को फोन करके कहा था कि अपने घरवालों को समझा देना, गाली-गलौच न करें। और जब दिनांक 04.11.12 को जयपुर से अपनी पत्नी की सूचना पर घर आया तो उसकी पत्नी राधा घर पर थी। वह सामान रखकर बाहर आया तो रामदत्त कहने लगा कि तूने उसके लडके को फोन क्यों किया था और गाली-गलौच करने लगा जिस पर वह अपने घर में चला गया। तब उसने देखा कि कमरे में कमरे की छत के कुंदा में साड़ी से फांसी लगाकर उसकी पत्नी राधा लटकी है जिसे उसने और बृजेश ने नीचे उतारा। फिर इलाज के लिये टैक्सी से बाराहेट लेकर गये जहाँ उसकी पत्नी खतम हो गयी थी जिसे वह घर पर लेकर आया।

4. उक्त आशय की लालाराम द्वारा लिखाई गई देहाती नालिसी, मर्ग सूचना प्र0पी0-3 पर से थाना एण्डोरी में मर्ग क्रमांक-20/12 प्र0पी0-1-ए दर्ज की गई और उसे जांच में लिया गया। जांच में संकलित हुई साक्ष्य में साक्षियों के द्वारा आरोपी रामदत्त शर्मा के द्वारा गाली-गलौच, झगडे से उत्प्रेरित होकर लालाराम की पत्नी श्रीमती राधा के द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना पाते हुए जांच उपरान्त आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0-88/13 धारा-306 भा0द0वि0 कायम कर वाद विवेचना अभियोग पत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से उक्त मामला सत्र विचारण का होने से धारा-209 द0प्र0सं0 के तहत दिनांक 06.01.14 को उपापित किया गया। जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के आदेश से विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष की ओर से भूटानी ब0सा0-1 का परीक्षण कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

अ- क्या, दिनांक 04.11.12 के शाम करीब 6.00 बजे ग्राम बरौना थाना एण्डोरी के अंतर्गत श्रीमती राधा पत्नी लालाराम के द्वारा घर के कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या की?

ब- क्या, मृतिका राधा को उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर आत्महत्या के लिये उसे अकारण गाली-गलौच कर, झगडा कर मृत्यु के पूर्व दुष्प्रेरित किया गया?

स- क्या, आरोपी रामदत्त की दुष्प्रेरणा के कारण ही मृतिका राधा द्वारा आत्महत्या की गई? यदि हाँ तो दण्ड?

द- क्या, आरोपी रामदत्त शर्मा भा.दं.वि.की धारा-108 के अंतर्गत दुष्प्रेरक की श्रेणी में आता है?

7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रमेश (अ0सा0 1), दुलारे उर्फ रामदुलारे (अ0सा0 2), लालता प्रसाद ओझा (अ0सा0 3), लालाराम ओझा (अ0सा0 4), पोखाराम (अ0सा0 5), एस0के0 गर्ग (अ0सा0 6), डॉ0

राजेन्द्र तराटिया (अ0सा0 7), एवं अमरनाथ वर्मा (अ0सा0 8), आर0सी0 माहौर (अ0सा0 9), ए0एस0 तोमर (अ0सा0 10) की साक्ष्य कराई है आरोपी की ओर से अपने बचाव में भूटानी ब0सा0-1 का कथन कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 लगायत 11 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। तथा असल मार्ग सूचना एवं सफीना फॉर्म प्र0पी0-1 के रूप में डबल अंकित हो गया है। इसलिये असल मार्ग सूचना को सुविधा की दृष्टि से प्र0पी0-1-ए के रूप में पढा जावेगा ताकि कम खण्डित न हो।

### —::—निष्कर्ष के आधार :-

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक—अ, ब, स, एवं द का निराकरण**

8. उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

9. उक्त आरोप धारा-306 भा0द0वि0 के अपराध को प्रमाणित करने के लिये धारा-107 भा0द0वि0के के तत्वों की पूर्ति होना आवश्यक है जिसके मुताबिक— किसी बात का दुष्प्रेरण— वह व्यक्ति किसी बात के लिये किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो:-

पहला— उस बात को करने के लिये किसी को उकसाता है अथवा

दूसरा— उस बात को करने के लिये किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये अथवा

तीसरा— उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। उक्त धारा-107 भा0द0वि0के स्पष्टीकरण में यह प्रावधानित किया गया है कि जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जान-बूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्य करता है अथवा कारित या उपाप्य करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। इसी में आगे यह भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि—जो कोई या तो किसी कार्य के लिये किये जाने के पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के लिये किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। इस तरह से धारा-107 भा0द0वि0 की उक्त परिभाषा अनुसार उसमें भिन्न तीन आवश्यक तत्व प्रस्फुटित/परिलक्षित है अर्थात् (1) उकसाना (2)षड्यंत्र और (3) साशय मदद द्वारा और उक्तानुसार इन तीनों में से यदि एक भी तथ्य सिद्ध होता है तो दुष्प्रेरण प्रमाणित होगा।

10. भा0द0वि0 की धारा-108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दुष्प्रेरक वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कार्य के लिये किये

जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता है। इसी धारा में आगे दिये गये स्पष्टीकरण के क्र०-1 में यह स्पष्ट किया गया है कि-किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिये स्वयं आबद्ध हो। स्पष्टीकरण क्रमांक-2 में यह स्पष्ट किया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित करने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो तथा इसी धारा के स्पष्टीकरण क्रमांक-3 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो।

11. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करना उचित होगा। अभियोजन कथानक मुताबिक घटना दिनांक 04.11.12 के शाम करीब 6.00 बजे की ग्राम बरौना की बताई गई है जो कि थाना एण्डोरी के अंतर्गत आता है और मूल घटना में प्र०पी०-3 की देहाती नालिसी, मर्ग सूचना मुताबिक जो घटना बताई गई है उसमें मृतिका राधा का पति लालाराम और उसके देवर जयपुर में रहकर मजदूरी करते थे जहाँ उसकी देवरानी भी उसके साथ में रहती थी। वह गांव में ससुर के पास रहती थी। उसके एक देवर छुटई की शादी नहीं हुई है। वह बी०ए० पास होने से ग्राम बरौना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उक्त दिनांक के 10-15 दिन पहले आरोपी रामदत्त शर्मा के लडका दिनेश शर्मा के बाजरा की बालों में उनकी गाय चली गई थी। जिस पर से दिनेश शर्मा की घरवाली से मुंहवाद होकर गाली-गलौच हो गयी थी जिसकी राधा ने लालाराम को जय पुर में फोन से सूचना दी तो उसने दिनेश शर्मा को फोन करके यह कहा था कि अपने घरवाली को समझा देना, गाली-गलौच न करें और जब वह घटना दिनांक 04.11.12 को जयपुर से अपने घर आया तब उसकी पत्नी राधा घर पर थी। वह सामान रखकर बाहर आया तो रामदत्त उसने कहने लगा कि उसके लडके को फोन क्यों किया तथा गाली-गलौच की जिस पर वह घर में चला गया तब उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा छत के कुंदा में साड़ी से फांसी लगाकर लटकी थी जिसने उसने और बृजेश ने उतारा था। फिर वह इलाज को बाराहेट ले गये। जहाँ उसकी पत्नी खतम हो गयी थी। उक्त घटना पर से करीब एक साल पश्चात अनुसंधान में आरोपी के द्वारा गाली-गलौच कर प्रताडित करने से तंग आकर मृतिका राधा द्वारा फांसी लगा लेने के आक्षेप पर से मामले में संज्ञान लिया गया है इसलिये साक्ष्य के विश्लेषण से यह भी आगे विश्लेषित करना होगा कि क्या आरोपी के गाली-गलौच से प्रताडित होकर आत्महत्या जैसा कृत्य मृतिका के द्वारा दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया या नहीं?

12. डॉ० राजेन्द्र तरेटिया अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 05.11.12 को वह सीएचसी गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। तब मृतिका श्रीमती राधा ओझा पत्नी लालाराम ओझा

उम्र करीब 28 साल निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी का शव परीक्षण हेतु लाया गया था जिसका उसने शव परीक्षण किया था। बाह्य परीक्षण में मृतिका को चित्त अवस्था में देखा गया था जिसके मुंह व आंखें अधखुली थी, पुतली स्थिर एवं फैली हुई थीं जो कि प्रकाश पड़ने पर असर नहीं डाल रही थी तथा शरीर में मृत्यु के पश्चात अकडन (राईगरमोटिस) था। मृतिका के गर्दन पर सामने की ओर 8 गुणित 8 सेमी० के हाइड्रोबोन के उपर लीगेचर मार्क (फांसी के निशान) मौजूद थे। पीछे की ओर नहीं थे। लीगेचर मार्क गहरे भूरे रंग का था।

13. इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके आंतरिक परीक्षण करने पर उसकी खोपड़ी, कपाल, कशेरुका जुड़ी हुई थीं। तिल्ली, मस्तिष्क, मेरुरज्जा लालिमा लिये हुए थी। पर्दा, पसली, कोमलस, फुसफुस, कंठ और श्वांस नली स्वस्थ थी। दोनों फेंफड़े लालिमा लिये हुए थे। पेट में अधपचा भोजन व गैस थी। यकृत, प्लीहा, गुर्दा लालिमा लिये हुए थे। मूत्राशय खाली था और जननेन्द्रियाँ स्वस्थ थीं। जांच उपरांत उसने प्र०पी०-7 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी। उसकी राय में मृतिका राधा की मृत्यु सांस रुकने के कारण दम घुटने से हुई थी जो कि फांसी लगने से होने का मत दिया है। यह भी बताया है कि उसके द्वारा प्र०पी०-8 की क्वेरी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। पैरा-5 में यह भी बताया है कि मृतिका के गर्दन पर लीगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई चोट नहीं थी।

14. तहसीलदार एस०के० गर्ग अ०सा०-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 05.11.12 को तहसील गोहद में पदस्थ रहना बताते हुए यह कहा है कि उक्त दिनांक को उसने मृतिका राधा की लाश के संबंध में जांच हेतु प्र०पी०-1 का सफीना फॉर्म जारी किया था और प्र०पी०-2 का लाश पंचायतनामा बनाया था। जिसके उसके निर्देशन में ए०एस०आई० आर०सी० माहौर ने लिखा था और लिखापट्टी करके गवाहों के समक्ष कार्यवाही की गई थी। जो अस्पताल में मिल गये थे। उसे थाना प्रभारी एण्डोरी से मिली सूचना पर वह गोहद अस्पताल गया था। और उक्त कार्यवाही उसने की थी जिसका समर्थन ए०एस०आई० आर०सी० माहौर अ०सा०-9 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। इसके अलावा मृतिका के पिता रमेश अ०सा०-1, मृतिका के पति लालाराम अ०सा०-4, मृतिका के ताउ ससुर पोखाराम अ०सा०-5 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है जिसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं होती है।

15. प्र०पी०-2 के लाश पंचायतनामा मुताबिक भी मृतिका की मृत्यु फांसी लगने से होने की राय पंचों द्वारा व्यक्त की गई है जैसा कि चिकित्सीय अभिमत भी आया है। अभियोजन के कथानक मुताबिक भी बताई गई घटना में मृतिका राधा द्वारा साड़ी से फांसी का फंदा घर में लगाकर आत्महत्या करने का घटनाक्रम बताया गया है। इस तरह से अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य जिसमें प्र०पी०-7 का शव परीक्षण प्रतिवेदन और प्र०पी०-8 के क्वेरी पत्र में भी मृत्यु गले में फांसी के फंदे के कारण दम घुटने के फलस्वरूप होना बताई गई है। मृतिका के शरीर पर अन्य कोई चोटों या संघर्ष के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे मृतिका की मृत्यु का

प्रकार आत्महत्यात्मक स्वरूप का होना उपरोक्त साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

16. अब प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या उक्त आत्महत्या मृतिका राधा द्वारा आरोपी की किसी प्रताड़ना से दुष्प्रेरित होकर की गई है? और क्या आरोपी की स्थिति भा.दं.वि.की धारा-108 के अंतर्गत बताये गये दुष्प्रेरक की परिधि में आती है? तथा धारा 107 भा.दं.वि. के अवयवों की पूर्ति उपलब्ध साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे होती है अथवा नहीं। यह अन्य परीक्षित साक्ष्य व परिस्थितियों से विश्लेषित करना होगा।

17. इस संबंध में मृतिका के पति लालाराम ओझा अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी रामदत्त उसका पड़ोसी है। वह जयपुर में काम करता है। उसकी पत्नी राधा ने उसे फोन फोन पर (परीक्षण दिनांक 16.10.14 के एक साल पहले) बताया था कि जल्दी घर आ जाओ तो वह अपने घर आया था। रामदत्त से उसकी पत्नी का झगडा होने लगा था। रामदत्त और उसकी पत्नी ने उसे घेर लिया था। उसके बाद वह अपने घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी राधा फांसी पर लटकी थी। उसके बाद उसके पड़ोस के लोग आ गये और राधा की लाश को नीचे उतार लिया। तथा ऑटो से राधा को बाराहेड पर ले गये तब डॉ० कमलेश ने बताया कि राधा खतम हो गयी है। उसके बाद वह राधा की लाश को घर ले आये। उसके बाद घर पर पुलिस आ गयी थी। घटना के बारे में पुलिस को उसने जानकारी दी थी और प्र०पी०-3 की देहाती नालिसी लिखाई थी। पुलिस ने लाश की लिखापट्टी की थी और मौके का नक्शा प्र०पी०-4 भी बनाया था। पुलिस घटनास्थल से एक जनानी धोती भी प्र०पी०-5 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त करके ले गयी थी। उसकी पत्नी की लाश का शव परीक्षण हुआ था। उसके बाद लाश उसे प्राप्त हुई थी जिसकी उसने प्र०पी०-6 की रसीद दी थी। पुलिस ने बयान भी लिया था। आरोपी से उसकी पहले से लड़ाई चल रही थी और आरोपी रामदत्त ने ही उसकी पत्नी राधा को मारा है। उक्त आशय का मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया है।

18. प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी अ०सा०-4 लालाराम ओझा ने यह कहा है कि उसकी पत्नी का फोन सुबह आया था। और शाम को वह घर आया था और अपना बैग दरवाजे पर रख दिया था, अंदर नहीं गया था इसलिये उसे पता नहीं है कि उसकी पत्नी राधा क्या कर रही थी। झगडा होने लगा था। यह भी बताया है कि घटना के एक दिन पहले उसने रामदत्त के लडके को फोन किया था कि अपने पिता को समझा दो वह गाली-गलौच करते हैं। फिर उसने दो तीन दिन पहले फोन करना बताते हुए यह कहा है कि उसने प्र०पी०-3 की देहाती नालिसी में यह लिखाया था कि 10-15 दिन पहले उसकी गाय दिनेश शर्मा के बाजारा की बालों में चली गई थी। दिनेश की पत्नी और उसकी पत्नी में गाली-गलौच हो गयी थी। दिनेश रामदत्त का भाई है और वे अलग-अलग रहते हैं। उनके मकान अलग-अलग हैं। इस बात से उसने इन्कार किया है कि देहाती नालिसी प्र०पी०-3 में उसने ऐसा नहीं लिखाया था कि जयपुर से घर आया तो

उसकी पत्नी राधा घर पर थी और वह सामान रखकर बाहर आया। फांसी से उसने व बृजेश तथा गांव के अन्य लोगों ने उतारा था। जब रामदत्त से उसका झगडा हुआ था। उस समय उसके पिता मौके पर नहीं थे, बाद में आये थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी ग्राम बरौना में चौहान के स्कूल में पढाने जाती थी और उसके पिता ने ही स्कूल में लगवाया था क्योंकि घर पर अकेली पडी रहकर क्या करती। उसका यह भी कहना है कि पुलिस ने उसका बयान जब शव परीक्षण के लिये लेकर जा रहे थे तब रास्ते में ले लिया था, एक साल बाद उसका बयान नहीं लिया गया। साक्षी ने प्र0डी0-3 के ए से ए भाग का कथन देने से इन्कार किया है जिसमें 'मेरी पत्नी -----झगडा करते हैं' का उल्लेख है।

19. अ0सा0-4 ने पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि पोखाराम उसके ताउ हैं और उसके ताउ ने अपने मकान का हिस्सा रामदत्त को बेचा था जिससे आधा हिस्सा रामदत्त पर पहुंच गया है। लेकिन उसके पिता पोखाराम को हिस्सा बेचने पर रोका था या नहीं उसे मालूम नहीं है। उसका यह भी कहना है कि उसकी पत्नी राधा रामदत्त और उसके भाई दिनेश के बच्चों को ट्यूशन पढाती थी। ट्यूशन पढाने के रुपये नहीं दिये थे जिस पर से लडाई हो रही थी। उसका यह भी कहना है कि रामदत्त के लडके सोनू ने उसकी पत्नी से छेडखानी की थी लेकिन छेडखानी की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी क्योंकि बदनामी होती। पैरा-7 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-3 में उसने यह बात लिखाई थी कि दिनेश शर्मा के बाजरा की बालों में उसकी गाय चली गई थी जिस पर से उसकी पत्नी व दिनेश शर्मा की पत्नी में मुंहवाद होकर झगडा हो गया था जिसकी सूचना उसकी पत्नी ने उसे जयपुर में भेजी थी। इस बात से इन्कार किया है कि उसकी पत्नी के चौहान के प्राईवेट स्कूल में पढाने को लेकर उसके पिता और पत्नी में झगडा हुआ था। इस बात से भी इन्कार किया है कि इसी बात पर जयपुर से आने पर उसका अपनी पत्नी से झगडा हुआ था जिसके कारण राधा ने फांसी लगाई थी। पैरा-8 में उसका यह भी कहना है कि उसकी पत्नी ने रामदत्त द्वारा किये गये झगडे के कारण परेशान होकर फांसी लगा ली, यह बात बृजेश व मौके पर आये अन्य लोगों को उसने नहीं बताई थी। उसका यह भी कहना है कि जब वह बाराहेड से पत्नी का मृत शरीर लेकर घर आया था तब चिल्लाचौंट की थी और रामदत्त के झगडे के कारण फांसी लगाकर पत्नी के मरने की बात भी बताई थी। उसका यह भी कहना है कि जब पत्नी को डॉ0 कमलेश शर्मा के यहाँ लेकर जा रहा था तब बृजेश के अलावा मौके पर राकेश, भूटानी व अन्य लोग भी उसके घर पर आये थे और उसके पिता भी लाश उतारते समय आ गये थे। जिस कमरे के अंदर पत्नी ने फांसी लगाई थी उस कमरे को पुलिस ने ताला लगाकर बंद कर दिया था। और राधा की मृत्यु के चार पांच दिन बाद पुलिस उस कमरे को आकर खोला था।

20. अन्य साक्षी जिसमें मृतिका के पिता रमेश अ0सा0-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में मूलतः यही बताया है कि उसकी लडकी राधा बी0ए0 पास थी और बरौना के प्राईवेट स्कूल में पढाने जाती थी जो ससुर के पास



रहती थी। पति व देवर जयपुर में प्राइवेट नौकरी करते थे। घटना रविवार के दिन की है तब उसके पास राधा का फोन आया था कि रामदत्त के लडके सोनू ने उसके साथ बुरा काम किया है और वह थाने जा रही है उस समय वह मुरैना में था और उसने यह कहा था कि वह आ रहा है। फिर वह और उसका भांजा जण्डेल गये थे तब तक राधा फांसी लगाकर खतम हो गयी थी। पुलिस ने मौके पर आकर कार्यवाही की थी। एसडीओपी ने उससे पूछताछ की थी। तब भी उसने बताया था कि आरोपी रामदत्त ने राधा के साथ बुरा काम करने की बात बताई थी लेकिन प्र0डी0-1 के कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। जब वह मौके पर पहुंचा था तो लाश आंगन में पड़ी थी और लालाराम व उसके पिता दुलारे मिले थे। उसका यह भी कहना है कि उसके सामने राधा के स्कूल में पढ़ाने पर से ससुर दुलारे से कोई झगडा नहीं हुआ था। सोनू द्वारा दुष्कर्म की बात उसके अलावा किसी और को बताई या नहीं, यह उसे पता नहीं है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि राधा और उसके ससुर दुलारे का रोजाना झगडा होता था जिसके कारण लडकी ने फांसी लगाई। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पोखाराम अपने मकान का हिस्सा आरोपी को बेच चुका है। ऐसा ही मृत्तिका के ससुर दुलारे उर्फ रामदुलारे अ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है और मृत्यु के कारण रामदत्त के पुत्र सोनू के द्वारा राधा के साथ बुरा काम करने की बात बताई है।

21. अ0सा0-2 ने यह भी कहा है कि घटना वाले दिन परिमाल के पुरा पर कल्ली पटेल के यहाँ मजदूरी को दोपहर बारह बजे के करीब गया था और उसका लडका लालाराम शर्मा छः बजे के करीब जयपुर से लौटा था। तब वह आया था। लालाराम घर के भीतर थैला लेकर गया था वह बाहर ही खडा रहा था। लालाराम ने बाहर निकलकर उसे बताया था कि राधा फांसी पर लटकी हुई है लेकिन वह अंदर देखने नहीं गया था और बेहोश हो गया था तथा करीब आधा घण्टे बाद उसे होश आया था। फिर उसने पुलिस को खबर की थी। फिर वह यह भी कहता है कि राधा ने ही पुलिस को फोन किया था कि जल्दी से जल्दी आओ। राधा को फांसी पर से किसने उतारा था, यह उसे पता नहीं है। वह डॉ0 कमलेश के यहाँ राधा को लेकर नहीं गया। उसने पुलिस को दिये गये प्र0डी0-2 के कथन में आरोपी के लडके सोनू के द्वारा बहू राधा के साथ बुरा काम करने की बात लिखाई थी। पुलिस ने न लिखी हो तो वह उसका कोई कारण नहीं बता सकता है। पैरा-3 में उसने यह भी कहा है कि उसने पुलिस को दिये बयान में पुलिस को यह भी बताया था कि रामदत्त, सोनू, दिनेश, लल्लू और गुड्डी ने राधा को फांसी पर लटकाया था।

22. इस साक्षी ने पैरा-4 में उसने भाई पोखाराम द्वारा अपने हिस्से का आधा मकान आरोपी को बेचने की बात स्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई रामदत्त को मकान बेचे। उसने यह भी कहा है कि राधा को दो चार बार उसने यह भी कहा था कि तुम पढ़ाने नहीं जाया करो। फिर उसने यह भी कहा कि राधा से उसने यह भी कहा था कि अपने पति से पूछो, तब पढ़ाने जाना। पैरा-5 में उसका यह



भी कहना है कि घटना के पहले रामदत्त के भाई दिनेश की नुकसानी में उसकी गाय चली गई थी, दिनेश की बहू ने उलाहना दिया था और झगडा किया था तब उसने नुकसानी की भरपाई करने की बात और अपनी बहू को समझा लेने की बात कही थी। इस बात से उसने इन्कार किया है कि वह राधा को डांटता था कि पढाने नहीं जाओ इसलिये उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

23. उक्त साक्षियों के संबंध में अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि आरोपी द्वारा किये गये विवाद से प्रताडित होकर राधा द्वारा आत्महत्या की गई है इसलिये धारा-107 भा.दं.वि. के अवयव स्थापित होते हैं। जबकि बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियोजन कथानक से भिन्न न्यायालयीन साक्ष्य आई है और कोई भी साक्षी विश्वसनीय नहीं था तथा घटना के करीब एक साल बाद अनुसंधान किया गया है विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मर्ग जांच करके केसझायरी बंद कर दी गई थी। और सभी साक्षी कथानक से भिन्न तथ्य बताते हैं। आरोपी के द्वारा कोई प्रताडना नहीं की गई है न ही खेत में फसल के नुकसान को घटना का आधार बनाया जा सकता है और कोई साक्षी विश्वसनीय नहीं है। घटना पूरी तरह से असत्य और बनावटी है। वास्तविकता में मृतिका राधा स्कूल में पढाने जाती थी और उसका ससुर उस पर आपत्ति करता था जो आत्महत्या का कारण हो सकता है इसलिये आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

24. अभियोजन कथानक मुताबिक बाजरा के खेत में गाय के चले जाने पर से हुए वार्तालाप के अनुक्रम में आत्महत्या के लिये आरोपी को गाली-गलौच करने के आधार पर दुष्प्रेरक की भूमिका में होना बताया गया है। घटना दिनांक 04.11.12 की है। और मर्ग जांच उपरान्त उसकी कायमी प्र0पी0-9 की एफआईआर मुताबिक दिनांक 06.11.13 को हुई, उसके पश्चात मृतिका के पति लालाराम, ससुर दुलारे उर्फ रामदुलारे, पिता रमेश व ताउ ससुर पोखाराम के कथनों में बताये गये इस तथ्य के आधार पर आरोपी को अभियोजित किया गया है कि आरोपी के द्वारा गाली-गलौच कर परेशान किया गया जिससे तंग आकर राधा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जबकि अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें कथानक के भिन्न अ0सा0-1, अ0सा0-2 व अ0सा0-4 यह बताते हैं कि आरोपी के पुत्र सोनू ने राधा के साथ दुष्कर्म किया था जिसके कारण उसने आत्महत्या की जो कि पूर्णतः विरोधाभासी है और उक्त विषंगति अत्यंत तात्विक स्वरूप की है। क्योंकि अनुसंधान में सोनू के द्वारा मृतिका के साथ दुष्कर्म करने का कोई तथ्य नहीं आया है। और इस बिन्दु पर न्यायालयीन साक्ष्य और कथानक एकदूसरे के पूर्णतः प्रतिकूल हैं। इसलिये अ0सा0-1, अ0सा0-2 व अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य पर से आरोपी के दुष्प्रेरक होने की पुष्टि नहीं होती है। उनके कथनों में यह स्पष्ट रूप से आया है कि पोखाराम जो कि मृतिका का ताउ ससुर है, उसने पुष्टैनी मकान का अपना हिस्सा आरोपी को बेच दिया था। और उसके ससुर दुलारे उर्फ रामदुलारे नहीं चाहता था कि पोखाराम अपना हिस्सा रामदत्त को बेचे जिससे उनके बीच आपसी बुराई होने के बिन्दु को

बल मिलता है।

25. लालाराम के कथन अनुसार मौके पर जिन लोगों की उपस्थिति बताई गई है उसमें भूटानी का नाम भी आया है और भूटानी को ब0सा0-1 के रूप में अभियुक्त की ओर से परीक्षण कराया गया है जिसने भी इस आशय की साक्ष्य दी है कि रामदुलारे के बड़े भाई पोखाराम के द्वारा मकान बेचने पर रामदुलारे ने आपत्ति की थी, इसी बात पर से बुराई थी। और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इस बुराई पर से आरोपी को झूठा फंसाने का तर्क भी किया है जो बल रखता है। हालांकि बचाव साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि राधा ने फांसी क्यों लगाई क्योंकि पैरा-3 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे फांसी लगाये जाने के कारण का पता नहीं है इसलिये बचाव साक्षी के अभिसाक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है किन्तु पोखाराम के द्वारा मकान के बेचने पर से मृतिका के ससुर की बुराई होने की पुष्टि उसके स्वयं के अभिसाक्ष्य से होती है। तथा मृतिका के ससुर द्वारा मृतिका को स्कूल में पढ़ाने पर भी आपत्ति की गई जो आत्महत्या का कारण हो सकती है। किन्तु जैसाकि अ0सा0-1, अ0सा0-2 व अ0सा0-4 दुष्कर्म का कारण बताते हैं उसकी पुष्टि कतई नहीं हुई है क्योंकि मृतिका के शव परीक्षण में भी उसकी जननेन्द्रियाँ स्वस्थ पाई गई थीं। ऐसे में अ0सा0-1, अ0सा0-2 व अ0सा0-4 मूल कथानक के संबंध में विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं।

26. प्र0पी0-3 की देहाती नालिसी मुताबिक जब मृतिका पति लालाराम जयपुर से घर आया तो उसकी पत्नी राधा घर पर थी, ऐसा उल्लेख है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि लालाराम के घर पहुंचने पर राधा जीवित थी क्योंकि वह घर के अंदर सामान रखने भी गया और फिर बाहर आया तब उसका रामदत्त से इस बात पर विवाद हुआ कि जयपुर से रामदत्त के लडके को लालाराम ने फोन नहीं किया और उस पर गाली-गलौच हुई जिस पर लालाराम अपने घर में पुनः चला गया तब उसने पत्नी को छत के कुंदा में साड़ी से फांसी लगाये लटके हुए देखा। इस तरह से घटना दिनांक को आरोपी रामदत्त का मृतिका राधा से प्रत्यक्षतः कोई संवाद नहीं हुआ है। क्योंकि खेत में गाय के चले जाने के बाद जो विवाद बताया गया है वह भी घटना के 10-15 दिन पूर्व का है इसलिये यदि प्र0पी0-3 को आधार बनाया जाये तो उसके संबंध में स्वयं लालाराम की न्यायालयीन साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे न तो वह विश्वसनीय है और न ही उससे प्र0पी0-3 के वृत्तांत की पुष्टि होती है।

27. प्र0पी0-3 में बृजेश की भी उपस्थिति बताई गई है जिसके द्वारा लाश को उतरवाया गया था। किन्तु अभियोजन की ओर से बृजेश के साक्षी के तौर पर परीक्षित नहीं कराया गया है तथा मृतिका के पिता रमेश के साक्ष्य में भान्जे जण्डेल के भी साथ आने की बात बताई गई है, उसे अभियोजन साक्षी नहीं बनाया गया है इससे भी उनकी विश्वसनीयता क्षीण हो जाती है। लालाराम जयपुर से आकर प्र0पी0-3 मुताबिक तो घर में जाना बताता है, पत्नी का मिलना भी कहता है किन्तु उससे वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मुकर जाता है। इससे भी वह विश्वसनीय नहीं है। और तीनों

ही साक्षियों ने एक नई कहानी को न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जन्म दिया है जिसका कोई आधार नहीं है।

28. आत्महत्या के मामले में दुष्प्रेरण के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मनोज कुमार विरुद्ध म०प्र० राज्य 2008 एम०पी०एल०जे० एस०एन०-26** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण के अपराध में आरोपी का आशय मृतिका को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाला होना चाहिए अर्थात् उसकी मंशा मृतिका को इस हद तक की जाने वाली हो जिससे वह आत्महत्या जैसा कृत्य अंजाम देने की स्थिति में आ जाये किन्तु हस्तगत मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे मृतिका राधा को आरोपी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जो उसे आत्महत्या की स्थिति में पहुंचाने के लिये पर्याप्त हो।

29. न्याय दृष्टांत **मदिया उर्फ महादेव विरुद्ध म०प्र० राज्य 2006 भाग-1 एम०पी०एल०जे० पेज-583** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अभियुक्त का कृत्य धारा-107 भा०द०वि० की श्रेणी में नहीं आता तब तक उसे दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है। तथा **प्रमोद एवं अन्य विरुद्ध म०प्र०राज्य 2007 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 26** में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी कार्य को करने में प्रकोपन, भडकाना, उकसाना जैसे शब्द परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और धारा-107 भा.दं.वि. के संघटक प्रकरण में होने चाहिए। तथा न्याय दृष्टांत **सीता उर्फ सीताप्रसाद वैश्य विरुद्ध म०प्र० राज्य 2008 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-80** में यह कहा गया है कि धारा-107 भा.दं.वि. के अधीन तीनों प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत यदि मामला न आता हो तो धारा-306 भा.दं.वि. का अपराध सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही न्याय दृष्टांत **हुकुमसिंह यादव विरुद्ध म०प्र० राज्य 2011 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-126 और राधेलाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 2012 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-87** में भी ऐसा ही मार्गदर्शित किया गया है।

30. इस तरह से आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी के कृत्य और मृतिका की मृत्यु से उसकी कड़ी जुड़ना आवश्यक है जिसका इस प्रकरण में सर्वाधिक अभाव प्रत्यक्ष साक्ष्य से दिखाई पड़ता है। अनुसंधान में घटना के एक साल पश्चात किन परिस्थितियों के आधार पर कार्यवाही की गई, इस बाबत घटना के विवेचक एसडीओपी अमरनाथ वर्मा अ०सा०-8 के अभिसाक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है जिससे अनुसंधान में विलंब भी संदेह उत्पन्न करता है।

31. पोखाराम अ०सा०-5 के अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में केवल यह बताया गया है कि उसने ऐसा सुना था कि रामदत्त और उसके लड़के सोनू ने राधा की इज्जत खराब की थी इस वजह से राधा ने शर्म के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या की है किन्तु उसने किससे सुना, कब सुना, इस बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। बल्कि उसने बचाव पक्ष के इस आधार को समर्थन दिया है कि उसने अपने मकान का हिस्सा आरोपी

रामदत्त को बेचा था और रामदत्त और उसके भाई दुलारे में जगह के उपर से आपस में झगडा हुआ था। उसे सूचना मिली थी तब वह समझाने के लिये आया था। और उसने कहा था कि दोनों अपनी अपनी जगह में रहो। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह रामदत्त को अपना हिस्सा बेच रहा था तो मकान बेचने पर उसको दुलारे ने कहा था कि मकान नहीं बेचो। उसने इसी बात पर से रामदत्त से दुलारे द्वारा रंजिश रखने की भी स्वीकारोक्ति की है। उसने यह भी कहा है कि अपने हिस्से में बर्ताव करने की उसने समझाईश दी थी। वह पुलिस को राधा के खतम होने के एक महीने बाद बयान देना कहता है जबकि कथानक मुताबिक करीब एक साल बाद कथन लिये गये हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने यह बात शर्म के कारण नहीं बताई थी कि आरोपी रामदत्त और उसके लडके सोनू ने राधा की इज्जत खराब की थी।

32. इस साक्षी ने पैरा-4 में इस बात की जानकारी नहीं होना बताया है कि राधा के पढाने को लेकर दुलारे से विवाद होता था जिसके कारण उसने फांसी लगा ली। जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क है। अ0सा0-5 को अभियोजन द्वारा विरोधाभाषों के बावजूद पक्षविरोधी घोषित नहीं किया है और उस पर भरोसा किया है। जबकि उसके अभिसाक्ष्य से कथानक की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसलिये अ0सा0-5 का अभिसाक्ष्य आरोपी के विरुद्ध न होकर अभियोजन के ही प्रतिकूल है।

33. ए0एस0आई0 आर0सी0 माहौर अ0सा0-9 के द्वारा प्र0पी0-3 की देहाती नालिसी लेखबद्ध करना, मृतिका के शव परीक्षण हेतु प्र0पी0-10 का आवेदन तैयार करना तथा आरोपी की प्र0पी0-11 के अनुसार गिरफ्तारी करना बताया गया है। और यह कहा है कि घटना की सूचना लालाराम ने फोन से दी थी जिस पर वह मौके पर गया था। तब लाश कमरे के बाहर रखी हुई मिली थी। प्र0पी0-3 लालाराम के बोलने के अनुसार लिखा गया था। जबकि लालाराम उसके तथ्यों से ही भिन्नता प्रकट करता है और उसका यह भी कहना है कि लालाराम ने उसे रिपोर्ट के समय यह नहीं बताया था कि रामदत्त के लडके सोनू ने उसकी पत्नी की छेड़छाड की थी।

34. इसी प्रकार मर्ग जांच करने वाले एसडीओपी अमरनाथ वर्मा अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथन लेना, घटनास्थल का नक्शामौका, जप्ती पंचनामा तैयार करना बताते हुए मर्ग जांच पर से धारा-306 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध करना बताया है जो एफ0आई0आर0 प्र0पी0-9 है। और यह भी कहा है कि लालाराम ने उसे दिये बयान में घटना वाले जयपुर से आना, सामान घर पर रखकर बाहर आना, फिर रामदत्त से विवाद होना लिखाया था। उसके बाद उसने घर के कमरे में जाकर पत्नी की लाश लटकी देखी थी। सोनू के द्वारा पत्नी से छेड़छाड की बात उसे भी नहीं बताई गई थी। इस तरह से उक्त दोनों की कार्यवाही का लालाराम द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। और

लालाराम प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विरोधाभाषी साक्ष्य देता है जिससे कोई भी दस्तावेज प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

35. उपनिरीक्षक ए0एस0 तोमर अ0सा0-10 ने अपनी अभिसाक्ष्य में एफ0आई0आर0 दर्ज होने के पश्चात प्राप्त हुई विवेचना में दिनांक 07.11.13 को लालाराम, पोखाराम और दुलारे के कथन तथा दिनांक 13.11.13 को रमेश का कथन लेना बताया है। और यह कहा है कि उक्त साक्षियों ने उसे यह बात बयान देते समय नहीं बताई थी कि आरोपी के लडके सोनू ने राधा के साथ बुरा काम किया था। यदि बताता तो वह अवश्य लिखता। इस तरह से उक्त विवेचक की विवेचना की पुष्टि भी घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण लालाराम, दुलारे, रमेश व पोखाराम के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में मृतिका राधा की मृत्यु को आरोपी के भाई दिनेश के खेत में गाय के बाजरा में जाकर नुकसान करने के अनुक्रम में हुए विवाद पर से राधा द्वारा दुष्प्रेरित होकर आत्महत्या कर लिया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। तथा पूरे घटनाक्रम में आरोपी रामदत्त का मृतिका राधा से किसी प्रकार का वार्तालाप, गाली-गलौच होने की पुष्टि नहीं होती है जिसके आधार पर उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में अभियोजित किया गया है। ऐसे में घटना की विवेचना भी लचर प्रकृति की है। यदि थोड़ी देर को ऐसा मान भी लिया जावे कि राधा को रामदत्त द्वारा गाली-गलौच की गई होगी तब भी गाली-गलौच करना उस श्रेणी में नहीं आता है जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिये विवश कर दे क्योंकि गाली-गलौच के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है और अनुसंधान में ऐसी कोई साक्ष्य संकलित भी नहीं हुई कि गाली-गलौच उस स्वरूप का था जो मृतिका के दिलो-दिमाग पर इस कदर असर कर गया कि उसे आत्महत्या की स्थिति में पहुंचा दिया।

36. इस प्रकार से सभी दृष्टिकोणों से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों की मीमांशा करने पर आरोपी की स्थिति धारा-108 भा.दं. वि. के अंतर्गत बताये गये दुष्प्रेरक की परिधि में नहीं आती है और उसका कोई कृत्य धारा-107 भा.दं.वि. के अवयवों की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का संपूर्ण मामला पूर्णतः संदिग्ध है और युक्तियुक्त संदेह से परे कतई प्रमाणित नहीं होता है फलतः आरोपी रामदत्त शर्मा को धारा-306 भा.दं.वि. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

37. आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

38. प्रकरण में जप्तशुदा साड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

39. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को सूचनार्थ भेजी जावे।

दिनांक: **26 मार्च 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड